प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2023** प्र0सू0रि0 सं. 2917/2023 दिनांक 20/11/2023
2. (I) अधिनियम **7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
   (II) अधिनियम ...भा0द0स0..... धारायें ... **120बी भा.द.सं.**
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....341.....समय 6:30 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन **गुरूवार** दिनांक **18.11.2023 समय 3.07 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक- **16.11.2023** समय- **03.30 पीएम.**
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक **लिखित**
5. घटनास्थल:- छोटी चौपड चौराहा, जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- **करीब 10 किलोमीटर बजानिब दिशा उत्तर पुर्वी कोण**

(ब) पता- बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-

(1) (अ) नाम:- **श्री अमित शाह**
(ब) पिता/पति का नाम - श्री रतनलाल शाह
(स) जन्म तिथी/वर्ष - 35 साल
(द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय- निजी व्यवसाय
(ल) पता:-प्लाट नं. ई-38, बन्नी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -
   1. आरोपी श्री अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति-राजपूत, उम्र-52 साल, निवासी-म0नं0 बी-102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड जयपुर हाल विजीलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर,
   2. आरोपी श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राहम्ण, उम्र- 49 साल, निवासी-म0नं0 सी-30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना-शास्त्रीनगर जयपुर, पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर
   3. आरोपी श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह, उम्र 43 साल, निवासी-गांव केसरी, तहसील-महवा, पुलिस थाना-मण्डावर जिला दौसा वर्तमान पता म0नं0-बी-5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला जयपुर हाल कानि0 नं0 7257 नगर निगम हेरीटेज, जयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.... कोई नहीं.
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :- **80 हजार रूपये**
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....**80 हजार रूपये**
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 16.11.2023 को श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक व श्री मनीष कुमार हैड कानि0 31 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे एक व्यक्ति श्री अमित शाह से मन् पुलिस निरीक्षक व श्री मनीष कुमार हैड कानि0 का परिचय करवाकर परिवादी श्री अमित शाह के बारे में बताते हुये उनकी शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित कर मुझे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया जिस पर मैने परिवादी व उसके प्रार्थना पत्र को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ''सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर। विषय:- निर्माण कार्य के लिए रिश्वत मांगने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मै श्री अमित शाह पुत्र श्री रतन लाल शाह, निवासी प्लाट नं. ई-38, बन्नी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर मेरी अर्ज इस प्रकार है कि मेरे सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। दिनांक 11.11.2023 को मेरे मकान की छत डल रही थी तब उसी वक्त विजय नाम का व्यक्ति वहा आया और ठेकेदार को काम बंद करने का कहा जिस पर ठेकेदार ने मेरे को बुलाया तो मै वहा गया तो विजय से मिला तो उसने कहा कि मै नगर निगम से आया हूं और अनिल सिंह तंवर नाम के किसी अधिकारी के नम्बर देकर कहा की इनसे बात कर लेना उसके बाद काम करना। उसके बाद मैने हमारे पार्षद उमेश शर्मा से बात की तो पार्षद ने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया। फिर मै उनके पास गया तो उन्होने विजय द्वारा दिये हुए अनिल तंवर के मोबाईल नम्बर पर बात करने के बाद कहा कि काम करवाना है तो 25000 रूपये लगेंगें और मैने उनको 25000/- रूपये दे दिये उसके बाद मेरा काम चल रहा था तो दिनांक 16.11.2023 को विजय नाम का व्यक्ति वापस मेरे निर्माण कार्य को बंद करवाने आया और ठेकेदार को काम बंद करने का कहा फिर कुछ देर बाद नगर निगम की गाडी में अनिल सिंह तंवर तथा अन्य लोग भी वहां आकर मेरे ठेकेदार व मजदुरों को काम बंद करवा कर चले गये उसके बाद मै वहां पहुंचा तो काम बंद था उसके बाद मैने अनिल तंवर के मोबाईल नम्बर पर बात कि तो उन्होने कहा कि आप नगर निगम हेरिटेज के कमरा नम्बर 150 में आकर मिलो। फिर मैने पार्षद से बात कि तो उन्होने कहा की काम बिना पैसों के नहीं होगा और कहा कि आपको 50000 रूपये देने पडेंगे नहीं तो आपके निर्माणाधीन मकान सील हो जायेगा। पार्षद उमेश शर्मा ने मेरे सही निर्माण कार्य को बैरोकटोक करने के लिए स्वयं के लिए तथा निगम अधिकारी अनिल तंवर व अन्य के लिए रिश्वत के लिए 50000/- रूपयें मांग कर मुझे परेशान किया जा रहा है। मै पार्षद उमेश शर्मा व निगम के अधिकारी अनिल तंवर व अन्य को रिश्वत के रूपयें नहीं देना चाहता हूं तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं। कृप्या कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलावे। एसडी प्रार्थी अमित शाह पुत्र श्री रतन लाल निवासी प्लाट नं. ई-38, बन्नी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर मो.न. 9828200073'' तत्पश्चात परिवादी श्री अमित शाह ने मजिद दरियाफ्त पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि नगर निगम के अधिकारी अनिल तंवर व पार्षद श्री उमेश शर्मा से किसी भी प्रकार की कोई रंजिश व रूपयो का लेन-देन नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम

दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अत: रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह को विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई जाकर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड लगाया गया। परिवादी ने बताया कि आज ही संदिग्ध पार्षद श्री उमेश शर्मा ने मुझे अपनी लेब पर मिलने बुलाया है, जिस पर श्री मनीष कुमार हैडकानि0 31 को परिवादी के साथ भेजकर मांग सत्यापन करवाया गया तो उक्त मांग सत्यापन रिकार्डेड वार्ता में ''**परिवादी से संदिग्ध उमेश शर्मा पार्षद ने पुर्व में लिये 25000 रूपये लेने की बात को स्वीकार करते हुए कहा की आपको 25000 रूपये देने का बोला था लेकिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया, तथा अभी 25-30 हजार रूपये में काम नहीं होने वाला है, सदिग्ध उमेश शर्मा ने नगर निगम के अधिकारी श्री अनिल तंवर से भी वाटसअप पर कॉल कर मेरा काम करवाने के लिए कहा, उसके बाद विजय को कॉल करके साईट पर अमित से कोई माथाफोडी होने के संबंध में वार्ता की, तत्पश्चात उमेश जी ने विक्की से जरिये व्हाट्सअप वार्ता कर परिवादी के आने के बारे में बताया, अमित का क्या करना है तो उसने कहा कि मैने डीसी साहब को बता दिया और डीसी साहब ने नोटशीट लिख दी है और अब कल नोटिस निकल जायेंगी, और मामला सरकारी रिकार्ड में होना बताया, जिस पर उमेश जी ने कहा की तु मुझे मत बता की सरकारी रिकॉर्ड क्या होते है, तू फाड़ दे, अब क्या करना है ये बताओ जिस पर विक्की का उमेश शर्मा से मिलकर बात करने की बात हुई, फिर उमेश शर्मा ने कहा की मै बता दूंगा जो भी होगा तो परिवादी ने कहा की 25-30 हजार से ज्यादा की बात मत करना तो संदिग्ध उमेश जी ने कहा की अब बात डीसी के पास चली गयी है अब तो मोटा ही लगेगा और 30-35 हजार में काम नहीं होने** के बारे में कहा जाता है।'' तत्पश्चात् परिवादी ने उमेश जी को जरिये वाट्सअप कॉल कर वापस मिलने के संबंध में हुई रिकार्डेड वार्ता में संदिग्ध श्री उमेश शर्मा ने कहा कि ''**अभी आने की जरूरत नहीं है तुमने मेरा फोन नहीं उठा कर मेरी बात खराब कर दी और अब तु सुबह आठ बजे मेरे पास आना और फोन कर लेना**'' कहा गया। उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता से संदिग्ध श्री उमेश शर्मा पार्षद द्वारा परिवादी से पुर्व में ली गयी रिश्वती राशि तथा अब पुन: परिवादी पर दबाव डालकर नगर निगम के अधिकारी अनिल तंवर के लिए रिश्वत की मांग करना प्रकट होता है, उक्त मांग सत्यापन वार्ता में नगर निगम के अधिकारी अनिल तंवर की भूमिका संदिग्ध पायी जाने पर श्री अनिल तंवर से रिश्वत मांग सत्यापन करवाये जाने के पश्चात् अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.11.2023 को परिवादी श्री अमित शाह द्वारा संदिग्ध श्री उमेश शर्मा पार्षद का बार बार कॉल आने व रूपयों की मांग करना बताया। चूंकि पूर्व की मांग सत्यापन में निगम के अधिकारी श्री अनिल तंवर से मांग सत्यापन आवश्यक है, अत: ट्रेप कार्यवाही अनिल तंवर से मांग सत्यापन होने के बाद की जावेगी। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह के मोबाईल नम्बर 9828200073 के वॉटसअप पर संदिग्ध श्री उमेश शर्मा मोबाईल नं0 9828039868 से कॉल आया। उक्त रिकार्डेड वार्ता में संदिग्ध श्री उमेश शर्मा द्वारा परिवादी से ''**क्या हुआ फिर, मै निकलु क्या मै मिटींग में जा रहा हुं, परिवादी ने कुछ समय मांगते हुए कहा की कितना पेमेन्ट लेके आउ और कुछ कम कर दो, फिर उमेश शर्मा ने कहा कि तेरे को बता दिया बार बार थोडे बताउंगा, वो तो मांगने को कुछ और ही मांग रहा था लेकिन मै तेरे को केसे बोल दूं फिर परिवादी ने कहा कि पचास दे जाता हुं लेकिन संदिग्ध ने इन्कार करते हुए कहा की नही नहीं परिवादी ने डिस्काउंट करने की बात की तो संदिग्ध ने मना कर दिया, परिवादी**

ने कहा की उनको कॉल करके बोलों कि पैसे आ गये संदिग्ध ने कहा कि नहीं मै तो पैसे हाथ में आने के बाद ही बोलुंगा, परिवादी ने कहा की आप बोल रहे थे कि नोटिस दे देंगे आप उनको बोलो संदिग्ध ने कहा कि अभी दस बजे तक तु मेरे को घंटी कर देना तथा अभी कोई नहीं आयेगा'' प्रकट हुआ। उक्त वार्ता से संदिग्ध श्री उमेश शर्मा पार्षद द्वारा रिश्वत मांग की पुनः पुष्टि होती है। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह के पास संदिग्ध श्री उमेश शर्मा के व्हाट्सअप मिस्ड कॉल आने पर संदिग्ध श्री उमेश शर्मा को व्हॉटसअप कॉल करवाया गया तो उक्त रिकार्डेड वार्ता में ''कहा है, तु कहा पर है तो परिवादी ने कहा मै आया हुआ हु पेमेन्ट की व्यवस्था करने, कहा मिलोगें तो उमेश शर्मा ने कहा कि फोन कर लेना वगैरह वार्ताए हुई। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह को निगम अधिकारी श्री अनिल तंवर से मांग सत्यापन के लिए भिजवाये जाने से पूर्व उक्त संदिग्ध अधिकारी से सम्पर्क कर हुई रिकार्डेड वार्ता में **''परिवादी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि आप कल मेरे सुभाष कॉलोनी वाले मकान पर आये थे जिस पर संदिग्ध ने परिवादी की पहचान अमित जी के रूप में की जिस पर परिवादी ने कहा कि आपने कल बुलाया था लेकिन तबीयत खराब होने से मै नहीं आ पाया तो संदिग्ध श्री अनिल तंवर ने कहा कि आप खाली हाथ मत आना आप अपने डॉक्युमेट दस्तावेज पट्टा वगैरह जो भी हो लेकर मेरे रूम नम्बर 150 में आने के लिए कहा गया''** प्रकट हुआ। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह को हैड कानि0 श्री मनीष कुमार के साथ नगर निगम हैरिटेज के कार्यालय के कमरा नं0 150 में भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो उक्त रिकार्डेड वार्ता में **''परिवादी को संदिग्ध अनिल तंवर ने कहा कि कुछ लाये हो क्या जिस पर परिवादी कहा कि मेरे पास आरिजनल डॉक्युमेंट तो लोन वालों के पास जमा है और मेरे पास फोटोकॉपी है डाक्युमेट सब क्लीयर है मकान के तो, संदिग्ध अनिल तंवर ने कहा कि आपने हमारे भेजे हुए गार्ड को एफआईआर की धमकी दे दी जिसने हमारे डीसी साहब को बता दिया, उसके बाद वहां पर भवानी सिंह नाम का व्यक्ति आया जिसको संदिग्ध अनिल तंवर ने परिवादी से परिचय करवाते हुए कहा कि ये वो सुभाष कॉलोनी वाला मुलजिम है जिस पर भवानी सिंह तथा अनिल तवंर ने दबाव बनाते हुए भवानी सिंह ने अनिल तंवर की मौजुदगी में परिवादी से पूछताछ शुरू की, भवानी सिंह ने परिवादी का नाम पता पुछकर एक डायरी में लिखा जिसके बाद अनिल तंवर की उपस्थिति में भवानी सिंह ने परिवादी के वैध निर्माण कार्य में कोई भी कॉमर्शियल कार्य नहीं करने का शपथ पत्र देने की बात कही और निर्माण कार्य को बेरोकटोक करने के लिए एक लाख रूपये कि रिश्वत की मांग की और उसके बाद में परिवादी उनसे रूपये ज्यादा होने का कहा तो उन्होने 80000/- रूपये की रिश्वत राशि देने का कहा तथा भवानी सिंह ने कहा की अब आप अमाउण्ट दे दो शाम को ही कल से आप काम शुरू करो आपको कोई परेशान नहीं करेगा तथा अनिल तंवर साहब को मैने बता दिया है। परिवादी ने ये बताया कि ये रिश्वत राशि 80000/- रूपये भवानी सिंह ने श्री अनिल तंवर के कहने पर अनिल तंवर तथा खुद के लिए मांगी है। भवानी सिंह ने परिवादी को रिश्वती राशि लेकर कल सुबह सिंधी कैम्प के पास बुलाया है''** तथ्य प्रकट होना पाया गया। इस प्रकार संदिग्ध भवानी सिंह द्वारा अपने कार्यालय में पदस्थापित अनिल तंवर से मिलकर आपस में षड़यन्त्र रचकर परिवादी से उसके वैध निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु स्वयं के लिए व सतर्कता अधिकारी श्री अनिल तंवर के लिए 80,000 रूपये रिश्वत राशि के रूप में मांग करने के तथ्य प्रकट हुये है। तत्पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री अनिल तंवर, श्री भवानी सिंह व श्री उमेश शर्मा से हुई वार्ताओं से रिश्वत मांग किया जाना स्पष्ट होता है,

कल दिनांक 18.11.2023 को संदिग्ध भवानी सिंह के पद की पहचान के पश्चात् ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी श्री अमित शाह को रिश्वत राशि में दिये जाने वाले 80000/-रूपये की व्यवस्था करने की मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 18.11.2023 को श्री मनीष कुमार हैड कानि0 एवं परिवादी को नगर निगम हैरिटेज भेजकर गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री भवानी सिंह का नगर निगम हैरिटेज विजीलेंस में कानि0 के पद पर कार्यरत होना प्रकट हुआ। समय 11.00 एएम पर परिवादी की संदिग्ध श्री भवानी सिंह से हुई रिकार्डेड वार्ता में भवानी सिंह ने ने कहा कि **''काम तो बंद है ना, मै कहु तब काम शुरू करना तथा स्वयं का सिंधी केम्प की तरफ ही होना बताकर मिलने का कहा जिस पर परिवादी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है मैं आपके ही काम की व्यवस्था कर रहा हु, थोडी देर में आकर मिलता हूं, आपसे फिर उसने कहा कि मेरे को कॉल कर लेना आओ''** कहना प्रकट हुआ है। अत: उपरोक्त तथ्यो से नगर निगम के कानि0 श्री भवानी सिंह द्वारा संदिग्ध श्री अनिल तंवर उपनिरीक्षक के लिए रिश्वत राशि मांग करना स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है। तत्पश्चात् पुर्व से उपस्थित पांबदशुदा स्वतंत्र गवाहन श्री राजपाल मीणा पटवारी, कार्यालय जोन-6 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर तथा श्री राजेन्द्र यादव पटवारी, कार्यालय जोन-4, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को ब्यूरो हाजा द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने की सहमती चाही तो दोनो सरकारी गवाहान ने अपनी सहमती दी। जिस पर चौकी में उपस्थित परिवादी श्री अमित शाह से दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाकर, परिवादी अमित शाह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढ़वाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.30 पीएम पर उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अमित शाह पुत्र श्री रतन लाल शाह, निवासी प्लाट नं. ई-38, बन्नी पार्क विस्तार, शास्त्री नगर, जयपुर को संदिग्ध श्री भवानी सिंह को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने अपने जेब में से 500-500 रूपये 160 नोट कुल 80,000 रूपये (अस्सी हजार रूपये, प्रचलित भारतीय मुद्रा) गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण पृथक से तैयार की गई फर्द में अंकित किया गया। फर्द में अंकित उक्त सभी 500-500 रूपये के नोटों कुल राशि 80,000/- रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने के लिए श्री राजेन्द्र कुमार सैनी हैड कानि. नं. 51 से एचएम कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर वहीं पर रखी एक टेबल पर अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया व नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अमित शाह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री राजपाल मीणा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल व जरूरी कागजातो के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं छोड़ी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 80,000 रूपयों को सीधे ही श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि0 से परिवादी अमित शाह के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दांई जेब मे रखवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्धों द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटो को उसको सुपुर्द करें तथा संदिग्ध इस रिश्वत राशि को लेकर कहां रखते है, कहां लेकर जाते है इसका भी ध्यान रखें। संदिग्धों द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात् ही अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976524763 या श्री मनीष हैड कानि0 के मोबाईल नम्बरो पर मिस कॉल कर मुझें या यथा संभव ट्रेप पार्टी को ईशारा करें। साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को भी यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहने की आवश्यक हिदायत की गई। इसके बाद स्वतंत्र

गवाहान व परिवादी को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया गया। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को व दृष्टान्त में उपयोग लिये गये पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास व प्लास्टिक डिस्पोजल चम्मच को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार हैडकानि 51 से फिनोल्पथलीन पाउडर का डिब्बा वापस अलमारी में रखवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई व किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी व संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय नया सेनडिस्क 32 जीबी मैमोरी कार्ड श्री मनीष कुमार हैडकानि 31 को सुपुर्द किया गया व हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध के पास जाये उससे पूर्व उक्त वॉइस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री राजेन्द्र कुमार हैडकानि 51 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत की गई। उपरोक्तानुसार कार्यवाही की पृथक से नियमानुसार फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी वाईस रिकॉर्डर तैयार जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री अमित शाह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास संदिग्ध श्री भवानी सिंह का रिश्वत राशि लेने के लिए कॉल आ रहा है, इस पर परिवादी से संदिग्ध भवानी सिंह के मोबाईल नं0 9887506044 पर जरिये वाट्सअप कॉल करवाया गया तो उक्त रिकार्डेड वार्ता में संदिग्ध ने परिवादी से कहा की **''मै इधर ही सीटी में आया हुआ हूं, कह रहा था जिस पर परिवादी ने तीन बजे तक मिलने का''** कहा जाना प्रकट हुआ है। समय 02.15 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय के निर्देशन में मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक मय श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. 99, श्री सुभाष कानि 592, श्री प्रदीप कुमार कानि 245, श्रीमती रजनी मीना म0का0 127, श्रीमती पिंकी म.कानि, श्री सीताराम कनिष्ठ सहायक, श्री प्रतीक कुमार कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राजपाल मीणा एवं श्री राजेन्द्र यादव के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री रूपेश कुमार शर्मा तथा श्री हंसराज कानि0 चालक के श्री मनीष कुमार हैडकानि. 31, को परिवादी अमित शाह के साथ उसकी निजी कार से रवाना कर मुनासिब हिदायत देकर पीछे-पीछे गोपनीय कार्यवाही के लिए ब्यूरो कार्यालय से रवाना हुए समय 02.54 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री मनीष कुमार हैडकानि ने जरिये टेलिफोन अवगत करवाया कि समय 02.47 पीएम पर परिवादी ने संदिग्ध श्री भवानी सिंह को रिश्वत राशि देने के लिए स्थान बताने हेतु पूर्व में कहेनुसार फोन लगाया जिस पर संदिग्ध भवानी सिंह ने फोन नहीं उठाया। उसके तुरंत बाद संदिग्ध ने अपने वाटसअप नम्बर 9887506044 से परिवादी के वॉट्सअप नम्बर पर कॉल किया, जिसको विभागीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया, जिसमें संदिग्ध ने परिवादी को छोटी चौपड पर आकर गाडी साईड में लगाकर रूकने के लिए बोला। श्री मनीष कुमार हैड कानि0 को मुनासिब हिदायत दी गई। वक्त करीब 02.55 पीएम पर श्री मनीष कुमार, हैडकानि. 31 द्वारा परिवादी श्री अमित शाह को विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया जाकर उसकी निजी कार से संदिग्ध श्री भवानी सिंह कानि0 से मिलने उसके पास छोटी चौपड चौराहा जयपुर पर रवाना कर मन् टीएलओ सत्यवीर, पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व समस्त ट्रेप टीम के

सदस्यों के साथ परिवादी की कार के पीछे-पीछे रवाना होकर छोटी चौपड चौराहा पर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय करीब 03.07 पीएम पर परिवादी ने निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेते हुए परिवादी की कार के पास पहुंचे। उक्त कार में परिवादी श्री अमित शाह ड्राईवर सीट पर व एक अन्य व्यक्ति ड्राईवर सीट के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। परिवादी ने कार का शीशा नीचे उतारकर मन टीएलओ को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने पास वाली सीट पर बैठै व्यक्ति की तरफ ईशारा करते हुये बताया कि ये श्री भवानी सिंह है, जिन्होंने अभी अभी मेरे पास से अपने दांहिने हाथ से रिश्वत राशि के 80,000/रूपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथो में लेकर रूपयों को चैक किया फिर मेरे कहने पर भवानी सिंह जी ने अनिल सिंह जी को अपने फोन से वॉट्सप कॉल कर मेरे निर्माणाधीन मकान पर गार्ड लगाने के लिये मना करने के लिये कहा तो अनिल सिंह जी ने ठीक ठीक कहकर अपनी सहमति दी और मेरे निर्माण कार्य में आगे कोई बाधा नहीं होने का आश्वासन श्री भवानी सिंह जी द्वारा दिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा निर्धारित ईशारा करने पर आप लोग मेरी गाडी के पास आये तो आप सभी को देखकर श्री भवानी सिंह ने रिश्वती राशि 80,000/रूपये मेरी कार के कप स्टेण्ड में रख दिये थे, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं, स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप टीम का परिचय देते हुये श्री भवानी सिंह का नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह, उम्र 43 साल, निवासी-गांव केसरी, तहसील-महवा, पुलिस थाना-मण्डावर जिला दौसा वर्तमान पता म0नं0-बी-5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला जयपुर हाल कानि0 नं0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री राजपाल मीणा से परिवादी की कार के कप स्टेण्ड में रखी रिश्वती राशि को उठवाया जाकर गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाहान ने उक्त रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 160 नोट कुल 80,000/रूपये होना बताया, जिनको उक्त स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री भवानी सिंह का मोबाईल फोन को कब्जा लिया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई उपरोक्त वार्ताओं की पुष्टि हुई। तत्पश्चात उक्त स्थान जयपुर का व्यस्तम तथा भीडभाड वाला आम रोड होने के कारण डिटेनशुदा श्री भवानी सिंह के हाथों के धोवन की कार्यवाही संभव नहीं है। तत्पश्चात डिटेनशुदा श्री भवानी सिंह कानि0 को हमराही जाप्ते की मदद से परिवादी की कार से उतरवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व डिटेनशुदा श्री भवानी सिंह मय ट्रेप टीम के रवाना होकर नजदीक स्थित सुरक्षित स्थान पूर्व में रही एसीबी की पुरानी बिल्डिंग की बैरिक, जलेब चौक जयपुर पर समय करीब 03.20 पीएम पर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी भवानी सिंह को सावधानीपूर्वक उक्त बैरिक में बैठाया गया। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये गये। तत्पश्चात संदिग्ध अनिल सिंह तंवर से आरोपी भवानी सिंह से हुये रिश्वत राशि लेन-देन के कम में श्री अनिल सिंह तंवर से वार्ता करने हेतु मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनीष हैडकानि0 को विभागीय वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री अमित शाह को मुनासिब हिदायत कर संदिग्ध श्री अनिल सिंह के पास लेन-देन वार्ता करने के लिये उसके कार्यालय नगर निगम हेरीटेज जयपुर के लिये रवाना किया। समय करीब 03.50 पीएम पर श्री मनीष हैडकानि0 परिवादी के साथ उपस्थित हुआ व वॉईस रिकॉर्डर मन टीएलओ को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि मनीष हैडकानि0 द्वारा विभागीय

वॉईस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द करने के बाद रवाना होकर नगर निगम कार्यालय के कमरा नं0 150 में गया जहां पर अनिल तंवर जी मौजूद नहीं मिले, जिनसे जरिये फोन वार्ता की तो उनको मेरे द्वारा भवानी सिंह को रिश्वत राशि देने के पश्चात मेरे निर्माण कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिये मैंने उनको धन्यवाद देकर मिलने के लिये कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है कहकर फिल्ड में बिजी होना बताया। उक्त वार्ताओं को विभागीय वॉईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। मन टीएलओ द्वारा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन-देन के पश्चात भवानी सिंह द्वारा श्री अनिल तंवर से हुई रिश्वत संबंधी वार्ताओं की पुष्टि हुई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं अब तक हुई लेन-देन की वार्ताओं से संदिग्ध श्री अनिल सिंह तंवर एवं श्री उमेश शर्मा पार्षद की रिश्वत मांग एवं लेन-देन में लिप्तता प्रकट होती है। अतः श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता संदिग्ध श्री उमेश शर्मा, पार्षद व संदिग्ध श्री अनिल सिंह विजिलेंस उप निरीक्षक नगर निगम हेरीटेज जयपुर को डिटेन कर लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री राजपाल मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि का दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के विवरण से मिलान करवाया गया तो स्वतंत्र गवाहान ने हुबहु वहीं नोट होना बताया। तत्पश्चात श्री भवानी सिंह के हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी श्री भवानी सिंह के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकालकर उक्त गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री भवानी सिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में श्री भवानी सिंह के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी की कार नं. RJ14CY5830 के कप स्टेण्ड जहां से रिश्वती राशि 80,000/रूपये बरामद किये गये थे, के धोवन लेने हेतु एक सफेद कपड़े की चिन्दी से रगड़कर उपरोक्तानुसार एक नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क C-1, C-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपड़े की चिन्दी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क C अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री भवानी सिंह द्वारा परिवादी की कार के कप स्टेण्ड

में रखी गई 500-500 रूपये के 160 नोट कुल रिश्वत राशि 80,000/रूपये जो स्वतन्त्र गवाह श्री राजपाल मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। दर्ज रहे कि पूर्व में रही एसीबी की बैरिक में अग्रिम कार्यवाही करने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नजदीक ही स्थित पर्यटक पुलिस थाना आयुक्तालय जयपुर में जाने का निर्णय लिया गया। जिस पर समय करीब 04.40 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय डिटेनशुदा आरोपी श्री भवानी सिंह, कानि0, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप टीम व कब्जेशुदा आर्टिकल्स के पूर्व में रही एसीबी की बैरिक की बिल्डिंग से रवाना होकर समय करीब 04.50 पीएम पर पर्यटक पुलिस थाना आयुक्तालय जयपुर पर पहुंचे। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा थानाधिकारी महोदया से अग्रिम कार्यवाही करने की मौखिक अनुमति लेकर थाना परिसर के स्वागत कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी अमित शाह के सामने पूछताछ कर आरोपी श्री भवानी सिंह से परिवादी श्री अमित शाह से रिश्वत के रूप में लिये गये 80,000/रूपयों के बारे में पूछा गया तो श्री भवानी सिंह ने बताया कि श्री अमित शाह कल दिनांक 17.11.2023 को कार्यालय नगर निगम हेरीटेज जयपुर की सतर्कता शाखा के उप निरीक्षक श्री अनिल सिंह के कार्यालय में बैठे थे, तब मेरे को अनिल सिंह जी ने अपने कार्यालय में बुलाया जहां पर अनिल सिंह जी के पास एक व्यक्ति बैठा था, अनिल सिंह जी ने उसका नाम अमित शाह बताया था तथा कहा था कि इसके विरूद्ध सुभाष कॉलोनी में मकान निर्माण संबंधी शिकायत आई हुई है, शिकायत क्या थी मेरे को नहीं पता तथा शिकायत मौखिक थी या लिखित मेरे को यह भी नहीं पता, अनिल जी ने मेरे को बताया था कि इसकी अनलीगल कंस्ट्रक्शन बाबत शिकायत है इसलिये आप इसका नाम पता व लोकेशन प्लॉट की साईज आदि के बारे में नोट कर लो। मैंने अमित शाह से उक्त निर्माण की परमिशन तथा रजिस्ट्री आदि के बारे में पूछताछ की थी, इसके बाद अनिल जी बाहर चले गये थे। अमित शाह ने मेरे को अपने निर्माण कार्य नहीं रूकवाने व वहां पर गार्ड नहीं लगवाने के बारे में कहा था, मेरी अमित शाह से किसी प्रकार की रूपये पैसों की बात नहीं हुई थी। अमित शाह का मकान मेरे बीट क्षेत्र में नही है, मै अनिल सिंह जी का रीडर भी नही हूं, मैने दिनांक 17.11.2023 अनिल सिंह के कहने पर अमित शाह से पूछताछ कर विवरण एक कागज पर लिखा था परन्तु हमारे द्वारा इस संबंध में कोई नोटशीट अथवा लिखित कार्यवाही नही की थी। जिस पर परिवादी अमित शाह ने आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 के द्वारा बताये गये कथनों को सरासर झूठा बताते हुये कहा कि मै मेरे प्लॉट नं0 547, सुभाष कॉलोनी शास्त्रीनगर वार्ड नं0 33 जयपुर पर मकान निर्माणाधीन है, उक्त मकान पर 11.11.2023 को विजय नाम का व्यक्ति आकर हमारा काम बन्द करवाकर चला गया था और अनिल सिंह तंवर के नम्बर देकर कहा था कि इनसे बात कर लेना। उसके बाद मैने इस बाबत हमारे पार्षद उमेश शर्मा से मिलकर बात की तो उमेश शर्मा द्वारा अनिल सिंह तंवर के मोबाईल नम्बर पर बात करने के बाद उमेश शर्मा द्वारा मुझसे रिश्वत की मांग की थी। फिर दिनांक 16.11.2023 को विजय नाम का व्यक्ति पुनः मेरे निर्माण कार्य को बन्द करवाने आया था उसके बाद अनिल सिंह तंवर भी निगम की गाडी में आया था तथा मेरा काम बन्द करवाकर चले गये थे जिस पर मैने अनिल सिंह जी के मोबाईल नम्बर पर बात की तो उन्होने मुझे कार्यालय नगर निगम हेरीटेज जयपुर के कमरा नं0 150 में आने के लिए कहा था। जिसके बाद मैने एसीबी में रिपोर्ट की थी। एसीबी द्वारा मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 16.11.2023 को शाम

को पार्षद उमेश शर्मा से मिला तो उन्होने पूर्व में निगम अधिकारी अनिल सिंह तंवर रिश्वत नही देने के कारण उक्त निगम अधिकारी द्वारा और अधिक रिश्वत राशि मांग करने के बारे में कहा था। इसके बाद मेरी अनिल सिंह जी से हुई वार्ता के अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 17.11.2023 को कार्यालय नगर निगम हेरीटेज जयपुर के कमरा नं0 150 में अनिल सिंह जी निगम अधिकारी अधिकारी से मिला, तो मेरे मकान के निर्माण व कागजातो के संबंध में वार्ता होने के पश्चात उन्होंने भवानी सिंह जी को बुलाकर मेरे खिलाफ हुई शिकायत के बारे में बताकर मेरे से बात करने के लिये कहा जिस पर भवानी सिंह ने मेरे से अनिल सिंह तंवर की मौजुदगी में पूछताछ की और कहा कि आपके मकान का काम-धाम करवाना है तो पैसा लगेगा, सीधी सी बात है बिना पैसों के यहां कुछ भी नहीं होता, यहां पर छत के हिसाब से पैसे लगते है, जिस पर उन्होंने एक लाख रूपये की मांग की, मेरे द्वारा काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अस्सी हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेने की सहमति दी और उसी के अनुसार मैने आज इनको अस्सी हजार रूपये रिश्वती राशि दी और इन्होंने रिश्वत राशि लेने के पश्चात अनिल सिंह जी से जरिये व्हाट्सअप कॉल कर मेरे निर्माणाधीन मकान पर गार्ड वार्ड हो तो मना कर देने के लिये कहने पर अनिल सिंह जी ने ''ठीक ठीक'' कहकर सहमती दी थी। आरोपी भवानी सिंह को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन एवं लेन-देन के दौरान परिवादी से हुई वार्ताओं के बारे में बताने पर आरोपी भवानी सिंह द्वारा उक्त वार्ताए सही होना बताकर मौन हो गया इसके बाद आरोपी भबानी सिंह द्वारा आज परिवादी से ली गई रिश्वत राशि किसी अन्य अधिकारी को देने के बारे में पूछा जाने पर आरोपी पुनः मौन हो गया। उपरोक्तानुसार तथ्यों से आरोपी श्री भवानी सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। तत्पश्चात आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 के पूर्व में कब्जा एसीबी लिये गये मोबाईल फोन का निरीक्षण किया गया तो उक्त फोन गेलेक्सी एम-14 5जी सैमसंग कंपनी का होकर बरंग नेवी ब्ल्यू, जिसमें एक सिम नं0 9887506044 जिओ कंपनी IMEI (SLOT1) 357718891119055 व IMEI (SLOT2) 358306131119058 है। उक्त मोबाइल में आरोपी भवानी सिंह की आरोपी अनिल सिंह एवं परिवादी अमित शाह से वार्ता होने के तथ्य उपलब्ध है अतः आईन्दा उक्त मोबाईल में उपलब्ध प्रासंगिक डेटा का विस्तृत निरीक्षण किया जाकर जब्त किया जायेगा। तत्पश्चात संदिग्ध अनिल सिंह तंवर से आरोपी भवानी सिंह से हुये रिश्वत राशि लेन-देन के क्रम में पुनः वार्ता हेतु समय करीब 05.08 पीएम पर श्री मनीष हैडकानि0 से विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादी श्री अमित शाह के मोबाईल नम्बर 982820073 से श्री अनिल सिंह के मोबाईल नम्बर 9460723035 पर जरिये वॉट्सप कॉल ऑपन स्पीकर करवाया गया तो परिवादी ने भवानी सिंह को 80,000/रूपये देने की बात कही, जिस पर अनिल सिंह ने कहा कि ''ठीक'' कहकर फोन काट दिया। तत्पश्चात पुनः कॉल किया तो अनिल सिंह ने फोन नहीं उठाया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द करके अपने पास सुरक्षित रखा। कार्यवाही के दौरान समय करीब 05.25 पीएम पर श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के डिटेनशुदा श्री उमेश शर्मा व उसका एक मोबाईल फोन मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया और बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री रघुवीरशरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री उमेश शर्मा को उनके आवास से डिटेन किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस को आरपीए जयपुर के पास डिटेनशुदा श्री उमेश शर्मा व उनके मोबाईल को सुपुर्द किया। तत्पश्चात वहां से रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के डिटेनशुदा श्री उमेश शर्मा को हमराह लेकर आये। तदुपरांत श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक

पुलिस मय जाप्ता के संदिग्ध श्री अनिल सिंह को डिटेन कर लाने के लिये रवाना हुये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी अमित शाह के सामने आरोपी श्री उमेश शर्मा से पूछताछ की गई, आरोपी ने अपना नाम पता श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राहम्ण, उम्र-49 साल, निवासी-म0नं0 सी-30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना-शास्त्रीनगर जयपुर, पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर मो0नं0 9828039868 बताया। आगे पूछने पर बताया कि अमित शाह मेरा दोस्त है, मै इसकी मदद करता रहता हूं। अमित शाह 2-3 दिन पहले मेरे घर पर आया था तथा अपने मकान निर्माण कार्य को नगर निगम द्वारा रूकवाने तथा उक्त कार्य सुचारू रूप से चालू करवाने की बात कही थी तो मैंने मेरे मोबाईल से श्री अनिल जी को वॉट्सप कॉल किया था तो अनिल जी ने उक्त निर्माण कार्य बिना रूकावट के करने की स्वीकृति देने की एवज में एक लाख रूप्ये की मांग की थी, तो मैंने रिक्वेस्ट करके 70,000/रूपये में सौदा तय किया था। अनिल जी ने अमित के खिलाफ कोई लिखित में कार्यवाही की थी या नही इसका मुझे ध्यान नहीं है। अमित शाह ने मेरे को कभी भी 25,000/रूपये नहीं दिये, अमित मुझे चन्दे के रूप में विभिन्न त्यौहारों पर रूपये देता रहता था। मुझे रिश्वत के रूप में कभी रूपये नहीं दिये। तत्पश्चात परिवादी श्री अमित शाह ने श्री उमेश शर्मा द्वारा बताये गये कथनो को झूठा बताते हुये बताया कि मैंने पूर्व में मेरे निर्माणाधीन मकान को बेराकटोक निर्माण कार्य करने के लिये पार्षद उमेश शर्मा जी को 25,000/रूपये दिये थे। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 16.11.2023 को इन्होंने मेरे से पूर्व में लिये गये 25,000/रूपये रिश्वती राशि स्वयं के लिये लेना स्वीकार किया और कहा कि निगम अधिकारी अनिल सिंह तंवर को उनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि नही देने के कारण अब तुम्हारी शिकायत डीसी तक पहुंच चुकी है, मोटी रिश्वती राशि लगेगी, इसी दौरान इन्होंने जरिये फोन नगर निगम हेरीटेज जयपुर के अधिकारी अनिल सिंह से मेरे काम के संबंध में बात कर मैनेज करने के लिये कहा गया, फिर इसने अन्य लोगो से भी बात की एवं दिनांक 17.11.2023 को रिश्वती राशि कम कर 50,000/रूपये करने के लियें कहा तो इन्होंने रिश्वत राशि कम करने के लिये मना कर कहा कि 50,000/रूपये में नहीं होगा, पूर्व में बताये गये रूपये ही लगेंगे। उपरोक्त तथ्यों एवं आरोपी उमेश शर्मा से हुई मांग सत्यापन वार्ताओं से आरोपी श्री उमेश शर्मा का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। तत्पश्चात आरोपी श्री उमेश शर्मा के पूर्व में कब्जा एसीबी लिये गये मोबाईल फोन का निरीक्षण किया गया तो मोबाईल फोन वीवो कंपनी बरंग सफेद, जिसमें एक सिम नं0 9828039868 जिओ कंपनी IMEI 868326056352875, IMEI 868326056352867 है। उक्त मोबाइल में आरोपी उमेश शर्मा की आरोपी अनिल सिंह एवं परिवादी अमित शाह से संदिग्ध वार्ता होने के तथ्य उपलब्ध है अतः आईन्दा उक्त मोबाईल में उपलब्ध प्रासंगिक डेटा का विस्तृत निरीक्षण किया जाकर जब्त किया जायेगा। समय करीब 06.25 पीएम पर श्री सुरेश कुमार स्वामी उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के श्री अनिल सिंह को लेकर आये तथा उनका एक मोबाईल, 30,000/रूपये व एक शिकायत रजिस्टर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्री अनिल सिंह को उनके कार्यालय से डिटेन कर उनके कार्यालय की दराज से 30,000/रूपये व टेबल से एक शिकायत रजिस्टर मिले है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी अमित शाह के सामने आरोपी श्री अनिल सिंह से पूछताछ की गई, आरोपी ने अपना नाम-पता अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति-राजपूत, उम्र-52 साल, निवासी-म0नं0 बी-102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड जयपुर हाल विजीलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर बताया। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अमित शाह से मांग की गई रिश्वती राशि के बारे

में पूछा तो उसने बताया कि दिनांक 11.11.2023 को अमित शाह के खिलाफ निर्माण कार्य से संबंधी एक शिकायत आई थी, जिस पर मैने हमारे कार्यालय में कार्यरत श्री विजय सिंह होमगार्ड को इसके मकान पर निर्माण कार्य रूकवाने के लिये तथा परमिशन संबंधित कागजात पेश करने के लिये भिजवाया था। दिनांक 16.11.2023 को ही मैने पुनः श्री विजय सिंह होमगार्ड को अमित शाह के निर्माण कार्य स्थल सुभाष कॉलोनी में भेजा था तो अमित शाह ने विजय सिंह को थाने में रिपोर्ट करवाने की धमकी दी थी। उसके बाद दिनांक 16.11.2023 को ही मै जीप लेकर अमित शाह के निर्माण कार्य स्थल पर मेरे कार्यालय में कार्यरत श्री विक्रम होमगार्ड को साथ लेकर गया था, वहां पर अमित शाह मेरे को नहीं मिला तो मैने वहां कार्य कर रहे कारीगरों को अमित शाह को नगर निगम में भिजवाने के लिये बोलकर आया था, उस दिन मेरे द्वारा कोई मौका फर्द नही बनाई गई थी और नाही इस संबंध में लिखित में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की थी। कल दिनांक 17.11.2023 को अमित शाह ने मेरे कार्यालय में आकर मेरे से बात की थी। तब मैने मेरे कार्यालय में कार्यरत श्री भवानी सिंह कानि0 को बुलाकर अमित शाह के बारे में बताते हुये उससे रजिस्ट्री के कागजात व परमिशन लाकर देने की बात कही थी। मैने इससे रिश्वत मांगने की बात नहीं की थी। हमने अभी तक इसके खिलाफ लिखापढी की कोई कार्यवाही नहीं की। मैने भवानी सिंह कानि0 को कहा था कि इसके पास कोई कागजात हो तो देख लो और इसके नाम पता नोट कर लो मैने इससे रिश्वत की मांग नहीं की। मैने ना तो उमेश शर्मा से तथा ना ही अमित शाह से रूपयो की मांग की। तत्पश्चात परिवादी श्री अमित शाह ने श्री अनिल सिंह द्वारा बताये गये कथनो को झूठा बताते हुये बताया कि इन्होंने दिनांक 16.11.2023 को जब मै पार्षद उमेश शर्मा जी से मिलने गया था तो उमेश जी ने अनिल जी से मेरे काम के संबंध में फोन पर बात की थी, उसी के अनुसार उमेश जी ने मेरे से रिश्वती राशि की मांग की थी, दिनांक 17.11.2023 को जब मैने अनिल जी से फोन कर बात की तो उन्होने मेरे निर्माणाधीन मकान के कागजात लेकर नगर निगम हेरीटेज जयपुर के कार्यालय के कमरा नं0 150 में आकर मिलने के लिये कहा था, जिस पर मै कमरा नं0 150 में जाकर अनिल सिंह जी निगम अधिकारी से मिला, तो उन्होंने मेरे द्वारा पूर्व में मेरे मकान पर काम रूकवाने आये विजय सिंह जी को मैने काम रोकने के लिये मना कर दिया था, जिस पर वो नाराज हो गया था, ये बात डीसी के पास पहुंच चुकी है, और कहा कि तीस फिट रोड पर चार मंजिला मकान नहीं बनता, जिसका आप कामर्शियल उपयोग नहीं कर सकते, मैने उनको कहा कि मै उस मकान में रहूंगा और उन्होंने मकान के निर्माण व कागजातो के संबंध में वार्ता होने के पश्चात उन्होंने भवानी सिंह जी को बुलाकर मेरे खिलाफ हुई शिकायत के बारे में बताकर मेरे से बात करने के लिये कहा था और भवानी सिंह ने इनके चैम्बर में इनकी मौजूदगी में मुझसे बात की थी, भवानी सिंह ने मुझसे कहा था कि मकान का काम-धाम करवाना है तो पैसा लगेगा, सीधी सी बात है बिना पैसों के यहां कुछ भी नहीं होता, यहां पर छत के हिसाब से पैसे लगते है, जिस पर उन्होंने एक लाख रूपये की मांग की, मेरे द्वारा काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अस्सी हजार रूपये लेने की सहमति दी थी, अनिल सिंह जी को उक्त वार्ता के संबंध में पूरी जानकारी थी। अनिल सिंह जी ने भवानी सिंह को ईशारो में रिश्वत राशि लेने की सहमति भी प्रदान की थी। उसी के अनुसार मैने आज भवानी सिंह जी को अस्सी हजार रूपये रिश्वती राशि दी तथा रिश्वत राशि लेने के पश्चात भवानी सिंह जी ने अनिल सिंह जी से फोन पर बात कर मेरे निर्माणाधीन मकान पर गार्ड वार्ड हो तो मना कर देने के लिये कहा था, इस पर अनिल सिंह जी ने ''ठीक-ठीक'' कहकर सहमति प्रदान

की थी। भवानी सिंह को रिश्वत देने के पश्चात कार्यालय मिलने गया तो कार्यालय में नहीं मिले और फिर मैंने इनको भवानी सिंह से रिश्वत लेन-देन के क्रम में फोन करके धन्यवाद देते हुये बात करनी चाही तो इन्होने ठीक-ठीक कहते हुये फील्ड में बिजी होना बताया, दुबारा आपने बात करवाई तो रिश्वती राशि 80,000/- रूपये भवानी सिंह को देने के बारे में कहने पर इन्होने ''ठीक'' बोलकर फोन काट दिया। उपरोक्त तथ्यों एवं मांग सत्यापन व लेन-देन के संबंध हुई वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों से आरोपी श्री अनिल सिंह का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। तत्पश्चात श्री अनिल सिंह के कार्यालय की दराज में मिले 30,000/रूपये के बारे पूछा गया तो उसने बताया कि यह राशि मैं आज सुबह मेरी पत्नि से पूछकर मेरे बेटे की शादी में हलवाई को देने के लिये घर से लेकर आया था, यह राशि आज शाम को उक्त हलवाई को देनी थी, जिस पर आरोपी की पत्नि को फोन कर उक्त राशि के बारे में पूछा तो उसने राशि के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। अतः उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी अनिल सिंह के कार्यालय की टेबल पर मिले रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जो प्रकरण के अनुसंधान हेतु आवश्यक होने पर जरिये फर्द पृथ्क से जप्त किया गया। श्री अनिल सिंह द्वारा दिये गये उक्त स्पष्टीकरण के बारे में श्री अनिल सिंह व श्री उमेश शर्मा का आमना सामना करवाकर पूछताछ की गई तो उमेश शर्मा ने परिवादी श्री अमित शाह के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से करवाने के लिये अनिल सिंह द्वारा 1 लाख रूपये की मांग कर 70,000/रूपये पर सहमति देने के तथ्यों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात आरोपी श्री अनिल सिंह के पूर्व में कब्जा एसीबी लिये गये मोबाईल फोन का निरीक्षण किया गया तो मोबाईल फोन बरंग मेटेल्कि सिल्वर गेलेक्सी सैमसंग कंपनी का होकर जिसमें दो सिम कार्ड नम्बर 9351486118 जिओ कम्पनी व 9460723035 एयरटेल कम्पनी लगी हुई है। जिसके आईएमईआई नम्बर चैक करने पर आईएमईआई नम्बर 350973424482085 व 354224544482084 होना पाया गया। उक्त मोबाइल में आरोपी अनिल सिंह की आरोपी उमेश शर्मा, भवानी सिंह एवं परिवादी अमित शाह से संदिग्ध वार्ता होने के तथ्य उपलब्ध है अतः आईन्दा उक्त मोबाईल में उपलब्ध प्रासंगिक डेटा का विस्तृत निरीक्षण किया जाकर जब्त किया जायेगा।

इस प्रकार परिवादी श्री अमित शाह के स्वामित्व के प्लॉट नं0 547, सुभाष कॉलोनी शास्त्रीनगर वार्ड नं0 33 जयपुर पर निर्माणाधीन मकान के कार्य की शिकायत को निपटाने, निर्माणाधीन कार्य को बेराकटोक पूर्ण करवाने एवं परेशान नहीं करने की एवज में आरोपीगण श्री अनिल सिंह विजिलेंस उप निरीक्षक, श्री उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33 एवं श्री भवानी सिंह कानि0 7257 ने आपसी मिलीभगत कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से आरोपी श्री अनिल सिंह ने परिवादी के निर्माणाधीन मकान का काम रूकवाकर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.11.2023 को श्री भवानी सिंह कानि0 से मिलवाना, आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर 80,000/रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमति प्रदान करना, आरोपी श्री उमेश शर्मा द्वारा परिवादी से पूर्व में प्राप्त रिश्वती राशि 25,000/रूपये स्वयं के लिये लेना व विजिलेंस अधिकारियों के लिये रिश्वती राशि की मांग करना तथा दिनांक 18.11.2023 को रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 द्वारा परिवादी से 80,000/रूपये रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त करना पाया गया। आरोपीगण श्री अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति-राजपूत, उम्र-52 साल, निवासी-म0नं0 बी-102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड जयपुर हाल विजीलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर, श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राहम्ण, उम्र- 49 साल,

निवासी-म0नं0 सी-30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना-शास्त्रीनगर जयपुर, पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर, भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह, उम्र 43 साल, निवासी-गांव केसरी, तहसील-महवा, पुलिस थाना-मण्डावर जिला दौसा वर्तमान पता म0नं0-बी-5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला जयपुर हाल कानि0 नं0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री भवानी सिंह, कानि0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 17.11.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 18.11.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री भवानी सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। समय करीब 09.15 पीएम पर आरोपी श्री भवानी सिंह, कानि0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर का अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 16.11.2023 व 17.11.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री उमेश शर्मा ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। समय करीब 09.30 पीएम पर आरोपी श्री उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33 नगर निगम हेरीटेज जयपुर का अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अनिल सिंह, विजिलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर, को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में दिनांक 16.11.2023 व 17.11.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 18.11.2023 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री अनिल सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। समय करीब 09.45 पीएम पर आरोपी श्री अनिल सिंह, विजिलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर का अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। मन् टीएलओ द्वारा नियमानुसार परिवादी अमित शाह व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी श्री अमित शाह की निशां देही से घटना स्थल छोटी चौपड चौराहा जयपुर का पृथक से नक्शा-मौका मुर्तिब किया गया। परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। आर्टिकल सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई जिसकी फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री अमित शाह के स्वामित्व के प्लॉट नं0 547, सुभाष कॉलोनी शास्त्रीनगर वार्ड नं0 33 जयपुर पर निर्माणाधीन मकान के कार्य की शिकायत को निपटाने, निर्माणाधीन कार्य को बेराकटोक पूर्ण करवाने एवं परेशान नहीं करने की एवज में आरोपीगण श्री अनिल सिंह विजिलेंस उप निरीक्षक,

श्री उमेश शर्मा पार्षद वार्ड नं0 33 एवं श्री भवानी सिंह कानि0 7257 ने आपसी मिलीभगत कर अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से आरोपी श्री अनिल सिंह ने परिवादी के निर्माणाधीन मकान का काम रूकवाकर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.11.2023 को श्री भवानी सिंह कानि0 से मिलवाना, आरोपी श्री अनिल सिंह विजिलेंस उपनिरीक्षक की सहमति अनुसार आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग कर 80,000/रूपये रिश्वती राशि लेने की सहमति प्रदान करना, आरोपी श्री उमेश शर्मा द्वारा परिवादी से पूर्व में प्राप्त रिश्वती राशि 25,000/रूपये स्वयं के लिये लेना व विजिलेंस अधिकारियों के लिये रिश्वती राशि की मांग करना तथा दिनांक 18.11.2023 को रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री भवानी सिंह कानि0 द्वारा आरोपी श्री अनिल सिंह विजिलेंस उपनिरीक्षक की सहमति अनुसार परिवादी से 80,000/रूपये रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति-राजपूत, उम्र-52 साल, निवासी-म0नं0 बी-102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड जयपुर हाल विजीलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर (2) श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति-ब्राहम्ण, उम्र- 49 साल, निवासी-म0नं0 सी-30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना-शास्त्रीनगर जयपुर, पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर एवं (3) श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह, उम्र 43 सांल, निवासी-गांव केसरी, तहसील-महवा, पुलिस थाना-मण्डावर जिला दौसा वर्तमान पता म0नं0-बी-5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला जयपुर हाल कानि0 नं0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.सं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट 6 प्रतियों में वास्ते कमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,

(सत्यवीर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री सत्यवीर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अनिल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी म0नं0 बी–102, गणपति नगर, नांगल जैसा बोहरा निवारू रोड़ जयपुर, हॉल विजीलेंस उप निरीक्षक पुलिस, नगर निगम हेरीटेज जयपुर 2. श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी म0 नं0 सी–30, सुभाष कॉलोनी, पुलिस थाना–शास्त्री नगर, जयपुर, पार्षद वार्ड नं0 33, जयपुर नगर निगम हेरीटेज जयपुर 3. श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मोरमुकुट सिंह निवासी ग्राम केसरी, तहसील–महवा, पुलिस थाना–मण्डावर जिला दौसा वर्तमान पता म0नं0–बी–5, रघुनाथ विहार, पांच्यावाला जयपुर हाल कानि0 नं0 7257 नगर निगम हेरीटेज जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 297/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

भवदीय,

20.11.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः– 3065–70 दिनांक 20.11.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या–प्रथम।
2. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, हेरीटेज,जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

O/C 20/11/23